रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072022-237046
CG-DL-E-04072022-237046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/ आषाढ़ 9, 1944
No. 463]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2022

सा.का.नि. 484(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 57 की उपधारा 3 के साथ पठित धारा 101 की उपधारा (2) के खंड (यख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रारम्भिकगठन:-** क्रम संख्या 6 और 7 पर उल्लिखित पदों के सिवाय, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में उल्लिखित पदों के ऐसे पदधारी, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने से पहले उक्त पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त किया हुआ समझा जाएगा और इन नियमों के प्रवृत्तहोने से पहले संबंधित पदों पर उनके द्वारा की गई निरंतर सेवा अगली उच्चतर श्रेणी में उनकी प्रोन्नति के लिए उनकी पात्रता पर विचार करने के लिए गणना में ली जाएगी।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जोपूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वेहोंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता: वह व्यक्ति-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	19* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-4 (25500-81100₹)	अचयन।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भर्ती अभिकरण द्वारा नियत की गई आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीखभारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलेतथा चंबाजिलेके पांगी उप-खंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीपसंघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियोंके लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	40% प्रोन्नति द्वारा। 60% सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200₹) में ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक या कनिष्ठ पुस्तकालय परिचारक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	क. विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य। ख. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. आशुलिपिक श्रेणी II	7* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-4 (25500-81100₹)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारीसेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भर्ती अभिकरण द्वारा नियत की गई आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन

					प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) कौशल परीक्षण मानक: - श्रुतलेख: दस मिनट में अस्सी शब्द प्रति मिनट की दर से। (iii) प्रतिलेखन: कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पचास मिनट या हिंदी में पैंसठ मिनट।	लागू नहीं होता	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अधिकरण या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है - (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; तथा (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. डाटा एंट्री ऑपरेटर	2* (2022) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	समूह 'ग'	स्तर-4 (25500-81100₹)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भर्ती अभिकरण द्वारा नियत की गई आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जोअसम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,

					मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से एक विषय के रूप में गणित के साथ विज्ञान स्ट्रीम में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) कंप्यूटर पर गति परीक्षा के माध्यम से डाटा एंट्री कार्य के लिए प्रति घंटे कम से कम 15000 की-डिप्रेशन की गति परीक्षा। **टिप्पण:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:**प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारणहुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय याउच्च न्यायालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अधिकरण या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकताहै - (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; तथा (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. निम्न श्रेणी लिपिक	22* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-2 (19900-63200₹)	अचयन।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भर्ती अभिकरण द्वारा नियत की गई आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम

					तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की टंकक गति। पैंतीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए पांच की डिप्रेशन के औसत पर प्रति घंटे 10500 की डिप्रेशन या प्रति घंटे 9000 की डिप्रेशन के अनुरूप हो।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	(i) सीधी भर्ती द्वारा 85%; (ii) रिक्तियों का 10% वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900₹) के समूह-ग कर्मचारियों में से भरा जाएगा और जिन्होंने 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता उत्तीर्ण की हो और विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर उक्त श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की दशा में पचास वर्ष) है। **टिप्पण 2:** यदि परीक्षा में खंड (2) के अधीन अर्हता प्राप्त ऐसे कर्मचारियों की संख्याउपलब्ध रिक्त स्थानों की अपेक्षा अधिक है तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों परआने वाले वर्षों में होने वाले रिक्त स्थानों को भरने के लिए विचार कियाजाएगा ताकि पहले परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों पर बाद की परीक्षामें अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके। (iii) रिक्तियों का 5% उन ऐसे समूह-ग कर्मचारियों में से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरी जाएगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900₹) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।

(11)	(12)	(13)
स्तम्भ (10) में किए गए उल्लेख के अनुसार	क. विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य। ख. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में	लागू नहीं होता।

	विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग –सदस्य;	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी)	4* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-2 (19900-63200₹)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)। **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भर्ती अभिकरण द्वारा नियत की गई आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पण 2:** आयु-सीमानिर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्तकरने की अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिले के पांगी उप खंड (सब-डिवीजन), लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो ; (ii) मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; (iii) मोटर मशीनीकरण का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान की मामूली छोटी	लागू नहीं होता।	दो वर्ष – सीधी भर्ती या पुनर्नियोजन के लिए	प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों कार्मिक के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।

कमी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); तथा (iv) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वांछनीय: होमगार्ड या सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। टिप्पण:अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जबचयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों केअभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900₹) में समूह 'ग' कर्मचारियोंमें से जिनके पास मोटर कार चलाने संबंधी क्षमता का निर्धारण करने के लिएड्राइविंग परीक्षण के आधार पर मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालनअनुज्ञप्ति है, जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनया कानूनी संगठन या स्वशासी निकायों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधानसंस्थानों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900₹) के नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जिन्होंने स्तम्भ (7) में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को पूरा कर लिया हो। सशस्त्र बल के कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जोएक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहितअर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

बल में निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्वियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. कनिष्ठ पुस्तकालय परिचारक	01* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-2 (19900-63200₹)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भर्ती अभिकरण द्वारा नियत की गई आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी **टिप्पण 2:** आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदनप्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जोअसम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य और **वांछनीय:**किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा	लागू नहीं होता	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, जिसके हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समूह 'ग' केकर्मचारियों में से जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी संगठन या स्वशासी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानोंके अधीन ऐसे कर्मचारियों से, जो:- क. (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900₹) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; तथा (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्तिकी अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन याविभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्तिया आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने कीअंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. **अभिलेखपाल**	2* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-1 (18000-56900₹)	अचयन।	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीयसरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भर्ती अभिकरण द्वारा नियत की गई आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पण 2:** आयु-सीमाअवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह

					अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	केवल सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति / आमेलन: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समूह 'ग' के कर्मचारियों में से जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार यासंघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी संगठन या स्वशासी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे कर्मचारियों में से, जो- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्तिकी अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन याविभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. बहुकार्य कर्मचारी वृन्द	47* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-1 (18000-56900₹)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारीसेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भर्ती अभिकरण द्वारा नियत की गई आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पण 2:** आयु-सीमाअवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्तकरने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-खंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई)।

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण या समतुल्य	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्यपरिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुईरिक्तियों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्चन्यायालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अधिकरण या अर्ध-न्यायिकप्राधिकरण, के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है, जो- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; तथा (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता हों।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. जे-1/12/2021-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi the 29th June, 2022

G.S.R. 484(E).—In exercise of the powers conferred by clause (zb) of sub-section (2) of section 101 read with sub-section (3) of section 57 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Consumer Disputes Redressal Commission (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution. – The incumbents of the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules, except the posts at serial numbers 6 and 7, who were appointed to the said posts before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed to the said posts under these rules and the continuous service rendered by them in the respective posts before the commencement of these rules shall be taken into account for deciding their eligibility for promotion to the next higher grade.

3. Number of post, classification, level in pay matrix – The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government, in consultation with the President, National Consumer Disputes Redressal Commission is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Upper Division Clerk	19* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level-4 (Rs. 25500-81100)	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be last date of receipt of application as fixed by the recruiting agency. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor Degree from a recognised University.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	40% by promotion. 60% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk or Junior Library Attendant in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	A. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Chairperson; 2. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member; 3. Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member. B. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Chairperson ; 2. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member; 3. Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Stenographer Grade -II	7* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level-4 ((Rs.25500-81100)	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be last date of receipt of application as fixed by the recruiting agency. **Note 2:** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass from a recognised Board; (ii) Skill Test Norms: – Dictation: Ten minutes at the rate of eighty words per minute; (iii) Transcription: Fifty minutes in English or sixty-five minutes in Hindi on computer.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note: The vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of Central Government or State Government or Supreme Court or High Courts or Public Sector Undertakings or Tribunal or Quasi-Judicial authority,- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Chairperson ; 2. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member; 3. Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Data Entry Operator	2* (2022) * (Subject to variation dependent on workload).	Group 'C'	Level-4 (Rs.25500-81100)	Not applicable.	Between 18 to 27 years of age. (relaxable upto forty years in case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be last date of receipt of application as fixed by the recruiting agency **Note 2**:The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i)12th class pass in Science Stream with Mathematics as a subject from a recognized Board; (ii) A speed test of not less than 15000 key depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on computer. Note: Qualification is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note:** The vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of Central Government or State Government or Supreme Court or High Courts or Public Sector Undertakings or Tribunal or Quasi-Judicial authority,- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Chairperson; 2. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member; 3. Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Lower Division Clerk	22* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level -2 (Rs.19900-63200)	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be last date of receipt of application as fixed by the recruiting agency **Note 2:** The crucial date for determining the age - limit shall be the last date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,

					Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass from a recognised Board; (ii) A typing speed of thirty five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on Computer. Thirty five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of five key depressions for each word.	Not applicable.	Two years.	(i) 85% by direct recruitment; (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in level 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular receive in the grade, on the basis of the departmental qualifying examination. **Note 1:-** The maximum age-limit for eligibility for examination is forty-five years. (Fifty years age for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes). **Note 2:-** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority- cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in level 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in the grade.

(11)	(12)	(13)
As stated in column (10)	A. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Chairperson ; 2. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member; 3. Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member. B. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Chairperson ;	Not applicable.

	2. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member; 3. Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	4 * (2022) *subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level-2 (Rs.19900-63200)	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be last date of receipt of application as fixed by the recruiting agency **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) 10th Standard pass or equivalent from a recognised Board; (ii) possession of a valid driving license for driving motor car; (iii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); and (iv) experience of driving a motor car for three years.	Not applicable.	Two years for direct recruits or reemployed	Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.

Desirable: Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer. **Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Deputation or absorption: From amongst Group 'C' employees in level-1(Rs.18000-56900) in the pay matrix in the National Consumer Disputes Redressal Commission who possess valid driving license for driving motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars, failing which from officials of regular Group 'C' employees in level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in the Central Government or State Government or Union territories Administration or statutory Organisation or autonomous bodies or public sector undertakings or Universities or recognised research Institutes, who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission -Chairperson ; 2. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission -Member; 3. Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member.	Not applicable.

Note 1: The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age- limit for appointment by deputation or absorption shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Junior Library Attendant	01* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level -2 (Rs.19900-63200)	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be last date of receipt of application as fixed by the recruiting agency **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:- 12th class pass or equivalent from a recognised Board and **Desirable:** Certificate or Diploma in Library Science or Library and Information Science from a recognised institute.	Not applicable.	Two years.	By deputation or absorption failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Deputation or absorption: From amongst Group 'C' staff in the National Consumer Dispute Redressal Commission failing which from Officials under the Central Government or State Government or Union territories Administration or statutory Organisation or autonomous bodies or public sector undertakings or Universities or recognised research Institutes,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the present cadre or department; or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-1 (Rs 18000-56900) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experiences as specified for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation (including the period of deputation) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Chairperson; 2. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member; 3. Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Record Keeper	2* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level-1 (Rs.18000-56900)	Non-selection.	Between 18 to 25 years of age. (relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be last date of receipt of application as fixed by the recruitment agency. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India

					and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.	Not applicable.	Two years for direct recruits only.	By deputation or absorption failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: From amongst Group 'C' staff in the National Consumer Disputes Redressal Commission failing which from Officials under the Central Government or State Governments or Union territories Administration or statutory Organisation or autonomous bodies or public sector undertakings or Universities or recognised research Institutes,- (a) holding analogous posts on regular basis in the present cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experiences as specified for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation (including the period of deputation) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Chairperson ; 2. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member; 3. Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Multi-Tasking Staff	47* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'.	Level-1 (Rs.18000-56900)	Not applicable.	Between 18 to 27 years of age. (relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be last date of receipt of application as fixed by the recruiting agency. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation pass or equivalent from a recognised Board.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note: The vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government or State Governments or Supreme Court or High Courts or public sector undertakings or Tribunal or Quasi-Judicial authority,- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Chairperson; 2. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member; 3. Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission - Member.	Not applicable.

[F. No. J-1/12/2021-CPU]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.04 20:53:17 +05'30'